कृषि निदेशालय
बिहार, पटना।

पत्रांक – 07/लेखा विविध– 47/2011 4966 कृ/पटना दिनांक 11-10-2019

प्रेषक,

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (सभी)
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः– **संस्था/फर्म से भाड़े पर विभागीय वाहन लेने के संबंध में।**

प्रसंगः– कृषि निदेशालय के पत्रांक 2604 दिनांक 29.05.2019 एवं पत्रांक 3140 दिनांक 26.06.2019 एवं पत्रांक 4598 दिनांक 18.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र 2604 दिनांक 29.05.2019 के कंडिका – 4 में निदेश है कि राज्य से स्वीकृत सात संस्था/फर्म के द्वारा वाहन नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अन्य संस्था/फर्म से वाहन ले सकते है बशर्ते वह संस्था की स्वीकृति कृषि निदेशक से प्राप्त हो।

इस कंडिका में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है। पटना जिला छोड़कर अन्य जिलों में स्वीकृत सात संस्था/फर्म भाड़े का वाहन उपलब्ध नहीं कराती है तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य संस्था/फर्म से भाड़े पर वाहन अद्योहस्ताक्षरी की स्वीकृति के बिना लिया जा सकता है बशर्ते वह संस्था/फर्म निम्न शर्तों को पुरा करता हो।

1. वाहन आपुर्तिकर्त्ता संस्था/फर्म को कम–से–कम एक वर्ष का केन्द्र/राज्य सरकार अर्द्ध सरकारी संस्थान, सरकार संपोषित संस्थान के अंतर्गत सामान्य प्रकृति के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। (अनुभव प्रमाण पत्र)
2. फर्म/संस्थान के नाम से कम–से–कम पाँच वाहन परिवहन विभाग द्वारा वाणिज्यक (Commercial Registered) निबंधन पत्र होना अनिवार्य है।
3. फर्म/संस्थान का निबंधन SGST/CGST के अन्तर्गत होना अनिवार्य है। (GST प्रमाण पत्र)
4. फर्म/संस्थान का विगत तीन वर्षों का आयकर लेखा होना अनिवार्य है। (आयकर प्रमाण पत्र)
5. वाहन चालू एवं अच्छी हालत में होना चाहिए तथा वाहन 2015 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही वाहन का वैद्य अद्यतन रोड टैक्स, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान रखना होगा।
6. वाहन का रख–रखाव एवं ईंधन आदि की जिम्मेवारी फर्म/संस्थान की होगी।
7. वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन एवं चालक को होने वाली क्षति की भरपाई फर्म/संस्थान को करना होगा।
8. वाहन सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराना होगा।
9. वाहन के ड्राइवर हमेशा Uniform (वर्दी) में रहेंगे। साथ ही ड्राइवर के पास वैद्य ड्राईविंग लाइसेंस होना चाहिए।
10. वाहन में तौलिया, खुशबू की व्यवस्था फर्म को करनी होगी।

11. सेवा में टूट रहने पर उस दिन की समानुपातिक राशि के अलावे 1000/–रूपये (एक हजार) रूपये प्रति दिन की दर से दण्ड राशि की कटौती फर्म/संस्थान द्वारा दिये गये दावे से की जायेगी।
12. वाहन आपुर्तिकर्त्ता संस्था/फर्म द्वारा शपथ–पत्र दायर कर प्रमाणपत्र देना होगा कि न्यायालय में फर्म/संस्थान एवं वाहन पर न तो कोई वाद लंबित है और न ही न्यायालय द्वारा किसी कानून के तहत इसे दण्डित किया गया है, और न ही संस्था/फर्म को काली सूची (Black List) में डाला गया है। (शपथ पत्र)
13. संस्था/फर्म से जब जितनी वाहन की माँग की जायेगी फर्म/संस्थान को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अन्दर माँग के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराना होगा।

आपसे आग्रह है कि उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संस्था/फर्म से सभी संबंधित कागजातों का स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं नोटरी का शपथ पत्र ली जाए। तदोपरांत संस्था/फर्म से एकरारनामा कर वाहन आपुर्तिकर्त्ता संस्था/फर्म से भाड़े पर वाहन लिया जाय। ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4966 कृ/पटना दिनांक 11-10-2019
प्रतिलिपिः– उद्यान निदेशक/निदेशक भूमि संरक्षण/अन्य विभागीय संस्थानों के प्रमुख एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4966 कृ/पटना दिनांक 11-10-2019
प्रतिलिपिः– सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।